



(333)

कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpeefdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / यो०बजट-47 / 2015- 721

दिनांक : 20.05.2016

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद/ बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो/ रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़/ गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह/ गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह/ हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग/ हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग/ चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा/ चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा/ देवघर वन प्रमण्डल, देवघर/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर/ वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, झारखण्ड, राँची

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2021-22 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (अन्य व्यय) के अंतर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण, वनभूमि पर वृक्षारोपण, अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं सीसल वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए कुल रु0 198.707 लाख (एक करोड़ अनठानवे लाख सत्तर हजार सात सौ रुपये) मात्र राशि का ऑनलाइन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो०बजट-93/2015-34/ व0प0 दिनांक 28.08.2015 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो०बजट-93/2015-04/आ० व0प0 दिनांक 22.04.2016 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु0 198.707 लाख (एक करोड़ अनठानवे लाख सत्तर हजार सात सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19P240601101580103	181.985
आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601101580323	16.722
कुल :-		198.707

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 (क) से (घ) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-2 एवं कार्यदर अनुलग्नक-3 (क) से (घ) पर द्रष्टव्य है।

3. इस कार्यालय के पत्रांक 549 दिनांक 14.04.2016 द्वारा 221.61 रु0 प्रति मानव दिवस के आधार पर राशि की माँग की गई थी। लेकिन सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति 206.17 रु0 प्रति मानव दिवस पर आवंटन उपलब्ध करायी गयी है, लेकिन देवघर सामाजिक वानिकी वन प्रमण्डल द्वारा अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना के अंतर्गत 8.00 हेठो की कमी होने के कारण उक्त बचत राशि का भी आवंटन प्राप्त हो गया है, जिसे उसी योजना के अधीन 213.85 रु0 प्रति मानव दिवस के आधार पर उप आवंटित की जा रही है, शेष कार्यों के लिए मजदूरी दर 206.17 रु0 प्रति मानव दिवस के अनुरूप उप आवंटन की जा रही है, शेष राशि सरकार से आवंटन प्राप्त होने के उपरान्त मजदूरी मद में राशि उप आवंटित की जायेगी।

4. इस योजना का कोड संख्या— पी० 19P240601101580103 तथा पी० 19P240601101580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

5. राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम-300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

6. वन प्रमण्डलों द्वारा “स्थल विशेष प्राक्कलन” श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी। एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को समर्पित करेंगे।

नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

7. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

8. नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना कासफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रसार वानिकी/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा जिसकी एक प्रति इस कार्यालय को अभिलेख हेतु उपलब्ध करायी जाय।

9. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथ तत्द संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम-300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

11. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

12. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, कि दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त स्थल विशेष योजनायें अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास कार्यालय में समर्पित करने के उपरान्त ही आवंटित राशि व्यय की जायेगी।

16. पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि के अनुसार वन प्रमण्डलों को राशि आवंटित की जायेगी, किन्तु योजनाओं का व्यय “स्थल विशेष प्राक्कलन” योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि तक सीमित रखा जायेगा।

17. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी।

18. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

350

19. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर के अनुरूप किया जायेगा तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदरों का भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते / डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

M. Manikam

अपर प्रधान मुख्य वन्स संरक्षक, विकास,

S झारखण्ड, राँची

19. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर के अनुरूप किया जायेगा तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदरों का भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते / डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

ह०/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0बजट—47 / 2015— 721 दिनांक— 20.05.2016

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची / मुख्य वन संरक्षक, शोध, झारखण्ड, राँची / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी उत्तरी छोटानागपुर, पलामू एवं हजारीबाग / संथाल परगना, दुमका / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो / हजारीबाग / दुमका / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो / गिरिडीह / हजारीबाग / चतरा / देवघर / एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

19. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर के अनुरूप किया जायेगा तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदरों का भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते / डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

हो/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / योबजट—47 / 2015— 721 दिनांक— 20.05.2016

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची / मुख्य वन संरक्षक, शोध, झारखण्ड, राँची / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी उत्तरी छोटानागपुर, पलामू एवं हजारीबाग / संथाल परगना, दुमका / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो / हजारीबाग / दुमका / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो / गिरिडीह / हजारीबाग / चतरा / देवघर / एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

हो/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / योबजट—47 / 2015— 721 दिनांक— 20.05.2016

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, धनबाद / बोकारो / रामगढ़ / गिरिडीह / हजारीबाग / चतरा / देवघर / कोडरमा / गढ़वा / डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली "भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना" (अन्य व्यय) के अन्तर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : ₹0 221.61 प्रति मानव दिवस)

राशि (₹0 लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टर)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			33226.36	4087.50	37313.86
i	ii	iii	iv	v	vi
1	धनबाद वन प्रमण्डल	31.00	10.300	1.267	11.567
2	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल	30.00	9.968	1.226	11.194
3	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल	30.00	9.968	1.226	11.194
योग :-		91.00	30.236	3.719	33.955

नोट :- वर्तमान में प्राप्त आवंटन के अनुरूप मजदूरी दर 206.17 ₹0 प्रति मानव दिवस के अनुरूप उप आवंटन की जा रही है, शेष राशि 15.44 ₹0 प्रति मानव दिवस के आधार पर सरकार से आवंटन प्राप्त होने के उपरान्त मजदूरी मद की राशि उप आवंटित की जायेगी।

अनुलग्नक-1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली "भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना" (अन्य व्यय) के अन्तर्गत वन भूमि पर वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : ₹0 221.61 प्रति मानव दिवस)

राशि (₹0 लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टर)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			22814.77	2515.00	25329.77
i	ii	iii	iv	v	vi
1	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल	25.00	5.704	0.629	6.333
2	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल	25.00	5.704	0.629	6.333
3	धनबाद वन प्रमण्डल	25.00	5.704	0.629	6.333
4	बोकारो वन प्रमण्डल	25.00	5.704	0.629	6.333
5	रामगढ़ वन प्रमण्डल	25.00	5.704	0.629	6.333
6	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल	25.00	5.704	0.629	6.333
7	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल	25.00	5.704	0.629	6.333
8	साठसाठ प्रमण्डल, कोडरमा	25.00	5.704	0.629	6.333
योग :-		200.00	45.632	5.032	50.664

नोट :- वर्तमान में प्राप्त आवंटन के अनुरूप मजदूरी दर 206.17 ₹0 प्रति मानव दिवस के अनुरूप उप आवंटन की जा रही है, शेष राशि 15.44 ₹0 प्रति मानव दिवस के आधार पर सरकार से आवंटन प्राप्त होने के उपरान्त मजदूरी मद की राशि उप आवंटित की जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली "भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना" (अन्य व्यय) के अन्तर्गत अवकृष्ट वन भूमि पर वृक्षारोपण का समापन कार्य का प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : ₹0 221.61 प्रति मानव दिवस)

राशि (₹0 लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टर)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			15219.70	1725.00	16944.70
i	ii	iii	iv	v	vi
1	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल	30.00	4.566	0.518	5.084
2	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल	30.00	4.566	0.518	5.084
3	देवघर वन प्रमण्डल	30.00	4.566	0.518	5.084
4	साठवाठ प्रमण्डल, देवघर	22.00	3.348	0.380	3.728
5	साठवाठ प्रमण्डल, हजारीबाग	30.00	4.566	0.518	5.084
6	साठसाठ प्रमण्डल, कोडरमा	30.00	4.566	0.518	5.084
7	साठवाठ प्रमण्डल, गढ़वा	41.63	6.336	0.718	7.054
योग :-		213.63	32.514	3.688	36.202

नोट :- वर्तमान में प्राप्त आवंटन के अनुरूप मजदूरी दर 213.85 ₹0 प्रति मानव दिवस के अनुरूप उप आवंटन की जा रही है, शेष राशि 7.760 ₹0 प्रति मानव दिवस के आधार पर सरकार से आवंटन प्राप्त होने के उपरान्त मजदूरी मद की राशि उप आवंटित की जायेगी।

अनुलग्नक-1 (घ)

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली "भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना" (अन्य व्यय) के अन्तर्गत सीसल वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : ₹0 221.61 प्रति मानव दिवस)

राशि (₹0 लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टर)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			73602.69	4283.00	77885.69
i	ii	iii	iv	v	vi
1	वन संरक्षक, राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची	100.00	73.603	4.283	77.886
योग :-		100.00	73.603	4.283	77.886
सकल योग :-		604.63	181.985	16.722	198.707

नोट :- वर्तमान में प्राप्त आवंटन के अनुरूप मजदूरी दर 206.17 ₹0 प्रति मानव दिवस के अनुरूप उप आवंटन की जा रही है, शेष राशि 15.44 ₹0 प्रति मानव दिवस के आधार पर सरकार से आवंटन प्राप्त होने के उपरान्त मजदूरी मद की राशि उप आवंटित की जायेगी।

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04/यो०ब०-93/2015- 34 दिनांक 28.08.2015

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-47/2015/721

दिनांक -

20-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नंबर	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601101580103	27850	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	1,600,400.00 रुपये सोलह लाख चार सौ
2	P 19 240601101580103	27851	BKRFOR001 VIJAY KUMAR D F O, BOKARO	570,400.00 रुपये पाँच लाख सत्तर हजार चार सौ
3	P 19 240601101580103	27852	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	570,400.00 रुपये पाँच लाख सत्तर हजार चार सौ
योग:				2,741,200.00
क्रमिक योग: रुपये सत्ताइस लाख इकतालीस हजार दो सौ				

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)
 ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

३९६)
पत्र संख्या -

01/YB-47/2015/721

दिनांक -

20-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	27855	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	1,567,200.00 रुपये पंद्रह लाख सङ्क्षट हजार दो सौ
5	P 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	27856	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	1,567,200.00 रुपये पंद्रह लाख सङ्क्षट हजार दो सौ
6	P 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	27859	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	570,400.00 रुपये पौंच लाख सत्तर हजार चार सौ
7	P 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	27863	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	570,400.00 रुपये पौंच लाख सत्तर हजार चार सौ

योग:

4,275,200.00

क्रमिक योग:

7,016,400.00

(SHRI Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
8	P 19 240601101580103	27865	CTRFOR003 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	456,600.00
9	P 19 240601101580103	27867	CTRFOR002 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	456,600.00
10	P 19 240601101580103	27873	DGRFORE88 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	456,600.00
11	P 19 240601101580103	27875	KDMFORA02 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	1,027,000.00
योग:				2,396,800.00
ऋग्मिक योग:				9,413,200.00
 (SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS) ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND				

322)

पत्र संख्या -

01/YB-47/2015/721

दिनांक -

20-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	P 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	27878	HZBFWL007 SHREE BHAGWAN MISHRA, I.F.S. D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	456,600.00 रुपये चार लाख छप्पन हजार छः सै
13	P 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	27884	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	633,600.00 रुपये छः लाख तैतीस हजार छः सै
14	P 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	27889	DGRFORE87 MANEL TUDU D.F.O. S.F.DIV.. DGR	334,800.00 रुपये तीन लाख चौतीस हजार आठ सै
15	P 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	27895	DRNFWL032 BIMAL KISHORE PRASAD CCF & STATE SILVICULTURIST JHA	7,360,300.00 रुपये तीहत्तर लाख साहठ हजार तीन सै
योग:				
रुपये एक करोड इक्कायासी लाख अठानवे हजार पौँच सौ				
<i>Y.K.Singh</i> (SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS) ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND				
रुपये एक करोड इक्कायासी लाख अठानवे हजार पौँच सौ				
18,198,500.00				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	P 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	27912	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	189,600.00 रुपये एक लाख नवासी हजार छः सौ
17	P 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	27918	BKRFOR001 VIJAY KUMAR D.F.O. BOKARO	62,900.00 रुपये बासठ हजार नौ सौ
18	P 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	27923	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	62,900.00 रुपये बासठ हजार नौ सौ
19	P 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	27927	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	185,500.00 रुपये एक लाख पिच्चयासी हजार पाँच सौ
योग:				500,900.00
क्रमिक योग:				18,699,400.00

Y.K.Singh
SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

320)

पत्र संख्या -

01/YB-47/2015/721

दिनांक -

20-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
20	P 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	27931	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	185,500.00 रुपये एक लाख पिच्चासी हजार पौंच सौ
21	P 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	27938	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	62,900.00 रुपये बासठ हजार नौ सौ
22	P 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	27944	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	62,900.00 रुपये बासठ हजार नौ सौ
23	P 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	27950	CTRFOR003 MADHUKAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	51,800.00 रुपये इकावन हजार आठ सौ
योग:				363,100.00
क्रमिक योग:	रुपये एक करोड नब्बे लाख बासठ हजार पौंच सौ			19,062,500.00
		(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS) ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND		

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
24	P 19 240601101580323	27953	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	51,800.00 रुपये इकावन हजार आठ सौ
25	P 19 240601101580323	27968	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	51,800.00 रुपये इकावन हजार आठ सौ
26	P 19 240601101580323	27971	KDMFORA02 RAMESH PRASAD KAMAL D.F.O (S.F.) KODERMA	114,700.00 रुपये एक लाख चौदह हजार सात सौ
27	P 19 240601101580323	27973	HZBFWL007 SHREE BHAGWAN MISHRA, I.F.S. D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	51,800.00 रुपये इकावन हजार आठ सौ
योग:				270,100.00
क्रमिक योग:				19,332,600.00
रुपये एक करोड़ तिरनावे लाख बत्तीस हजार छ: सौ  (SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS) 				

318)

पत्र संख्या -

01/YB-47/2015/721

दिनांक -

20-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	P 19 240601101580323	27978	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	71,800.00
29	P 19 240601101580323	27980	DGRFORE87 MANEL TUDU D.F.O. S.F.DIV.. DGR	38,000.00
30	P 19 240601101580323	27985	DRNFWL032 BIMAL KISHORE PRASAD CCF & STATE SILVICULTURIST JHA	428,300.00

योगः

538,100.00

क्रमिक योगः

रुपये एक करोड अठानवे लाख सत्तर हजार सात सौ

19,870,700.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दरयोजना का नाम : शीघ्र बढ़ने वाले पौधे का रोपण

पौधों की संख्या प्रति हेठो : 2500 पौधे

पौधों की दूरी : 2 मी० x 2 मी०

मजदूरी दर 221.61 प्रति मानव दिवस

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० मे०)	सामग्री (रु० मे०)	कुल व्यय (रु० मे०)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) वित्तीय वर्ष 2016-17 में समाप्ति कार्य (द्वितीय वर्ष)							
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हेठो	32.5	7202.33	0.00	7202.33	
2	वृक्षारोपण	हेठो	55	12188.55		12188.55	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हेठो	62.5	13850.63	0.00	13850.63	
4	ट्रेंच के बर्म पर धेरान हेतु बीज रोपन	हेठो	2	443.22	0.00	443.22	प्रति हेठो औसत 6 चेन ट्रेंच का धेरान
5	पौधों की सुरक्षा						
5.1	30 हेठो तक	हेठो	9.16	2029.95		2029.95	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी० / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हेठो	0.00	0.00	3937.50	3937.50	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हेठो	0.00	0.00	150.00	150.00	
योग :-			161.16	35714.67	4087.50	39802.17	

अनुलग्नक-3 (ख)

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम— वन भूमि पर वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हेठो : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी० x 2 मी०)

मजदूरी दर 221.61 प्रति मानव दिवस

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० मे०)	सामग्री (रु० मे०)	कुल व्यय (रु० मे०)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A) वित्तीय वर्ष 2016-17 में समाप्ति कार्य (द्वितीय वर्ष)							
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हेठो	21.50	4764.62	0.00	4764.62	
2	वृक्षारोपण	हेठो	36.50	8088.77	0.00	8088.77	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हेठो	41.50	9196.82	0.00	9196.82	
4	ट्रेंच के बर्म पर धेरान हेतु बीज रोपन	हेठो	2.00	443.22	0.00	443.22	
5	पौधों की सुरक्षा (30 हेठो तक)	हेठो	9.16	2029.95	0.00	2029.95	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	2365.00	2365.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
योग :-			110.66	24523.36	2515.00	27038.36	

Amarnath
2016
अपर प्रधान मुख्य कम संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-3 (ग)

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दरयोजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना

पौधों की संख्या प्रति हेठो : 1000 पौधे

मजदूरी दर 221.61 प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3 मी. x 3 मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रु0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) विलोप वन 2016-17 में समाप्त कार्य (निरीय-पर्याप्त)							
1	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित	हेठो	13	2880.93	0.00	2880.93	
2	वृक्षारोपण	हेठो	22	4875.42		4875.42	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हेठो	25	5540.25	0.00	5540.25	
4	ट्रैच के बर्न पर घेरान हेतु बीज रोपन	हेठो	2	443.22	0.00	443.22	प्रति हेठो औसत 5 चेन ट्रैच का घेरान
5	पौधों की सुरक्षा						
5.1	30 हेठो तक	हेठो	9.17	2032.16		2032.16	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी०/ यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हेठो	0.00	0.00	1575.00	1575.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हेठो	0.00	0.00	150.00	150.00	
योग :-			71.17	15771.98	1725.00	17496.98	

अनुलग्नक-3 (घ)

योजना का नाम— सीसल वृक्षारोपण हेतु कार्य दर प्रति हेठो

पौधों की संख्या प्रति हेठो:- 6150

मजदूरी दर 221.61 प्रति मानव दिवस

क्र० सं०	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी रु0 में	सामग्री रु0 में	कुल व्यय रु0 में	अभ्युक्ति
(B) विलोप वन 2016-17 में समाप्त कार्य (निरीय-पर्याप्त)							
1.	पौधशाला कार्य (आंशिक) रात्रि प्रहरी सहित	हेठो	57	12631.77	0.00	12631.77	
2.	वृक्षारोपण	हेठो	145	32133.45	0.00	32133.45	
3.	दो कोड़नी एवं निकौनी	हेठो	145	32133.45	0.00	32133.45	
4	सुरक्षा कार्य	हेठो	8	1772.88	0.00	1772.88	
5	सामग्री (बीज, उर्वरक खाद, रसायन आदि)	हेठो	0	0.00	4133.00	4133.00	
6	ट्रैच के बर्न पर घेरान हेतु बीज रोपन	हेठो	2	443.22	0.00	443.22	
7	विविध कार्य (छायांकन एवं प्रसार सहित)	हेठो	0	0.00	150.00	150.00	
योग :-			357	79114.77	4283.00	83397.77	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची